फर्द अहकाम

भगवान बनाम किशोर वगै0

ना पत्र संख्या 75/2022

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। पत्रावली में बहस उपस्थित पक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहरायण एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 548 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.05 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 553 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 हैक्टयर वाके ग्राम गंवार ब्राहमणान् पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर असहमति दी। बहस उपस्थित पक्षकारान अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर [illegible] उक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य किसी किस्म न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर पडौसी खातेदारों एवं उभयपक्षकारान को नियमानुसार सूचित कर सभी की उपस्थिति में राजस्व ग्राम गंवार ब्राहमणान् पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

.2024

भगवान बनाम किशोर वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 75/2022

भूमि खसरा नम्बर 548 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.05 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 553 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 हैक्टयर का नियमानुसार सीमाज्ञान कर, सीमाचिन्हों पर पत्थरगढी की जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested